



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ 1946 (श0)

(सं0 पटना 624) पटना, सोमवार, 15 जुलाई 2024

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

15 जुलाई 2024

अधिसूचना संख्या 03/2024-राज्य कर (दर)

एस0 ओ0 246, दिनांक 15 जुलाई 2024—बिहार माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 11 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 545, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।” ।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[(सं०सं०बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड-19)-03)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

15 जुलाई 2024

एस० ओ० 246, दिनांक 15 जुलाई 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-19) 03)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 15th July 2024

Notification No. 03/2024-State Tax (Rate)

S.O. 246, Date 15th July 2024— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 545, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, after the Schedule, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression ‘pre-packaged and labelled’.”.

2. This notification shall come into force on the 15th day of July, 2024.

[(File No. **Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-19) 03**)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 624-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>